FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

भंवरू खां बनाम ओमप्रका ा वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 13/10 व 2010/00009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
30.10.19	पत्रावली पे ा हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अवगत करवाया कि इसी भूमि के संबध में एक अन्य अपील में रिमांड पत्रावली सुनवाई में ली जानी है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पत्रावली में दिनांक 05.05.10 को जारी अंतरिम अस्थाई व्यादे ा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया गया है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अंतरिम अस्थाई व्यादे ा को स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने इस पर कोई एतराज न जताते हुये प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति जताई। अतः पत्रावली में दिनांक 05.05.10 को जारी अंतरित अस्थाई व्यादे ा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	